(ग) देश के चार महानगरों-दिल्ली-मुम्बई-कलकत्ता और चेन्नई तथा बिहार के प्रमुख शहरों-पटना और गया में ऐसी कितनी-कितनी भूमि है?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) रेलों के पास कोई अधिशेष भूमि नहीं है, रेलवे के पास खाली पड़ी भूमि भविष्य में विकासात्मक और विस्तार कार्यों के लिए अपेक्षित है। हालांकि, खाली पड़ी रेलवे भूमि के एक भाग पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है। ऐसे अतिक्रमणों को हटाना एक सतत् प्रक्रिया है और सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

Gauge conversion in Gujarat

1229. SHRI BRAHMAKUMAR BHATT:
SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the details of MG/NG rail lines converted in BG during the 8th plan period in Gujarat;

(b) the details of MG/NG rail lines proposed and included for conversion during the 9th plan period in the State;

(c) whether there is any plan of taking up any gauge conversion project in Gujarat through private funding; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) The following MG lines have been converted into broad gauge in Gujarat:—

1. Nadiad-Kapadvanj
2. Mahesana-Kodiyar
3. Mahesana-Marwar-Ajmer

(b) The following MG/NG lines are proposed to be converted during 9th Plan period in Gujarat:—

1. Gandhidham-Bhuj
2. Rajkot-Veraval
3. Surendranagar-Bhavnagar, Dhola-Dhasa-Mahuva with extension upto Pipavav.
4. Wankaner-Maliya Miyana
5. Viramgam-Mahesana
6. Ahmedabad-Udaipur

(c) Yes, Sir.

(d) The modalities of funding of Surendranagar-Bhavnagar, Dhola-Dhasa-Mahuva with extension upto Pipavav gauge conversion Project are being finalised.

संसद सदस्यों की शिकायतों का निपटान

1230. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सांसदों और क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता समिति के सदस्यों से प्राप्त शिकायतों और पत्रों के निपटान में प्रभागीय रेल प्रबंधकों द्वारा औसतन कितना समय लिया जाता है;

(ख) विगत छः माह के दौरान प्रभागीय रेल प्रबंधक, बड़ोदरा को, सांसदों और क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता समिति के सदस्यों से प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या का ब्यौरा क्या है और इनमें से कितने मामलों में यथोचित पावती दी गई है;

(ग) सांसदों की शिकायतों के निपटान में इनके द्वारा किए जा रहे विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) शिकायतों और संसद सदस्यों और अन्य अति विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त पत्रों के निपटान में लगने वाला औसत समय लगभग 20 दिन है।

(ख) विगत छः महीनों के दौरान केवल एक ही शिकायत प्राप्त हुई थी और इसकी पावती दी गई थी।

(ग) ऐसी शिकायतों का सामान्यतः समय पर निपटान कर दिया गया है, बहरहाल जांच करने और गवाह शीघ्र उपस्थित न होने के कारण कभी कभार विलंब हो जाता है।

(घ) शीघ्र उत्तर देने के संबंध में अनुदेश समय-समय पर दोहरा दिए जाते हैं।